

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग/ DEPARTMENT OF SPACE
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/ INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार / SATISH DHAWAN SPACE CENTRE SHAR
श्रीहरिकोटा, तिरुपति जिला (आं.प्र.)/ SRIHARIKOTA-524 124, TIRUPATI DIST. (A.P)

SDSCSHAR/SH14653/2023

18.06.2023

सूचना/NOTICE

श्री रामेश्वर कुमार (इसमें इसके पश्चात् आरोपित अधिकारी (सीओ) के रूप में संदर्भित), वैज्ञानिक/अभियंता-एसई, एसएच 14653, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार को सूचित किया जाता है कि उन्हें अपने ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण दिनांक 27.06.2022 को एक आरोप-पत्र जारी किया गया है। प्रारंभिक सुनवाई के लिए कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उनके घोषित पत्तों पर भेजी गई आरोप-पत्र एवं सूचनाओं की प्रतियाँ, "प्रेषिती जा चुका है/addressee left" टिप्पणी सहित डाक प्राधिकारियों द्वारा लौटा दी गई है।

Shri. Rameshwar Kumar (hereinafter referred to as CO), Sci/Engr-SE, SH 14653, SDSC SHAR, is informed that a Chargesheet dated 27.6.2022 has been issued against him for his unauthorised absence from duty. Copies of the Chargesheet and Notices for Preliminary Hearings sent to his declared addresses as per office records have been returned by Postal authorities with the remarks "addressee left".

आरोपित अधिकारी (सीओ) को सूचित किया जाता है कि इस जांच में प्रारंभिक सुनवाई वरिष्ठ प्रधान लेखा एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार, एसडीएससी शार के कार्यालय में 22.06.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। आरोपित अधिकारी (सीओ) को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनवाई में उपस्थित रहें और जांच अधिकारी से मोबाइल सं. 9409284064 पर संपर्क करें। सुनवाई में अनुपस्थित होने की अवस्था में नियमित सुनवाई 26.06.2023 से प्रारंभ की जाएगी। नियमित सुनवाई की तिथियाँ वेबसाइट www.shar.gov.in पर सूचित की जाएगी और आरोपित अधिकारी (सीओ) को यथासूचित सभी सुनवाईयों में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। आरोप-पत्र की एक प्रति सूचना एवं सुनवाई में उपस्थित होने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए वेबसाइट में भी प्रदर्शित की जा चुकी है।

The CO is hereby informed that Preliminary Hearing in the Inquiry will be held at 11AM on 22.06.2023 in the O/o Sr. Head, Accounts & IFA, SDSC SHAR. The CO is directed to attend the hearing and to contact the IO at Mob No: 9409284064. In the event of his non-appearance, Regular Hearings will commence from 26.06.2023 onwards. The dates of Regular Hearings will be notified in website www.shar.gov.in and the CO is directed to attend all the hearings so notified. A copy of the Chargesheet has also been hosted in the website for his information and needful action to attend the hearings.

किसी/सभी सुनवाईयों में अनुपस्थित होने की अवस्था में, कार्यवाही आयोजित कर एक पक्षीय निष्कर्ष निकाला जाएगा और आरोपित अधिकारी (सीओ) को इस मामले में आगे कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा। यदि आरोपित अधिकारी (सीओ) सुनवाईयों के कुछ भाग में उपस्थित होने का चयन करते हैं, तो जांच का वह भाग जो पहले ही पूरा हो चुका है दोबारा आयोजित नहीं किया जाएगा।

In the event of his non-appearance in any/all the hearings, the proceedings will be conducted & concluded ex-parte and the CO shall have no further right of representation on the matter. If the CO chooses to attend part of the hearings, then that part of the inquiry which has already been completed shall not be reconducted.

जांच अधिकारी / INQUIRY OFFICER